संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर

द्वितीय तल सेक्टर-27 अटल नगर, नवा रायपुर- छत्तीसगढ़

दूरभाष:- 0771-2995629

ई-मेल:- sanskriti.rajbhasha@gmail.com वेबसाइट :- www.cgculture.in

क्रमांक- 6364/गढ़कलेवा/स.रा./2025 | रायपुर, दिनांक 9.06.2025

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का खानपान के केन्द्र 'गढ़कलेवा' संचालन हेतु अनुबंध पर संचालन हेतु दिये जाने के लिए सीलबंद लिफाफे में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाते हैं. इच्छुक स्वसहायता समूह रुचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालयीन समय में संचालक, संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल सेक्टर 27 अटल नगर नवा रायपुर में रु. 500/- नगद (जो वापसी योग्य नहीं है) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है. विस्तृत जानकारी कार्यालय संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा, रायपुर के वेबसाईट www.cgculture.in में भी देखा जा सकता है. इच्छुक संस्था को अंतिम तिथि तक सीलबंद रुचि की अभिव्यक्ति रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट (अन्य कोई डाक सेवा नहीं) के द्वारा संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, रायपुर में प्रेषित करना होगा. सीलबंद रुचि की अभिव्यक्ति लिफाफे के उपर 'रुचि की अभिव्यक्ति- महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन कार्य' अंकित करना होगा. रुचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी. संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा.

ई.ओ.आई. प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:-	दिनांक 14.07.2025 समय शाम 05.00 बजे तक
ई.ओ.आई. प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:-	दिनांक 15.07.2025 समय शाम 05.00 बजे तक
ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (तकनीकी प्रस्ताव)	:-	दिनांक 16.07.2025 समय 12.00 बजे
ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (वित्तीय प्रस्ताव)	:-	दिनांक 21.07.2025 समय 12.00 बजे

संचालक

संस्कृति एवं राजभाषा

जी- 01467

Scanned with OKEN Scanner

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल सेक्टर – 27 अटल नगर, नवा रायपुर–छत्तीसगढ़
दूरभाष: 0771–2995629,
ई–मेल: sanskriti rajbhasa @gmail.com, website: www.cgculture.in

गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नियम व शर्तें

1. एक निविदा कर्ता केवल एक ही प्रस्ताव जमा कर सकता है। यदि किसी के द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव जमा किया जाता है तो उसके सभी प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।
2. कार्य की अवधि 3 वर्ष की होगी जो कि संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा के निर्णय अनुसार अतिरिक्त 1 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
3. रूचि की अभिव्यक्ति के तहत गढ़कलेवा का संचालन हेतु आवेदक का स्व सहायता समूह नगर निगम या फर्म एवं सोसायटी में दो वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4. स्व सहायता समूह के नाम से बैंक में खाता होना चाहिए।
5. स्व सहायता समूह द्वारा न्यूनतम दो वर्षों से शासकीय संस्था/स्वशासी संस्था/निजी संस्थान में छत्तीसगढ़ी व्यंजन/पेय बनाने एवं विक्रय का अनुभव आवश्यक है, इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. स्व सहायता समूह द्वारा यदि बैंक से लोन लिया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण जैसे लोन की राशि, अवधि, वर्तमान स्थिति आदि का विवरण देना होगा तथा बैंक या शासकीय संस्था से वसूली की कार्यवाही या कालीसूची किया गया हो तो विवरण स्पष्ट रूप से देवें।
7. अपना प्रस्ताव तैयार करने जमा करने के लिए निविदाकर्ता के द्वारा जो भी व्यय होगा उसे उस निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाना होगा। विभाग इस दिशा में कोई प्रतिपूर्ति नहीं करेंगा।
8. निविदाकर्ता का किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। इस हेतु निविदाकर्ता द्वारा राशि रू 50 का नान ज्यूडिशियल स्टाप पर प्रारूप अनुसार शपथ देना होगा। असत्य पाये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाएगा।
9. स्व सहायता समूह द्वारा सदस्यों के अतिरिक्त कर्मचारी रखा गया हो तो उसका प्रकार जैसे– कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल का जानकारी देवें।
10. महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर परिसर में स्थित गढ़कलेवा में केवल छत्तीसगढ़ी व्यंजन/भोजन/कलेवा/पेय का विक्रय ही जावेगी जिसकी मात्रा एवं दर विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसे बिना शर्त के समूह को स्वीकार्य होगा।
11. गढ़कलेवा में पकाने, विक्रय एवं परोसने हेतु पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी बर्तन जैसे– कांसा, पीतल, मिट्टी या पत्तल दोना (हरित) का उपयोग ही किया जाएगा तथा शासन के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Desktop/Garhkalewa

Scanned with OKEN Scanner

12. तकनीकी प्रस्ताव में सफल स्व सहायता समूह को एक प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण देनी होगी, जिसमें विषय–विशेषज्ञों एवं समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये छत्तीसगढ़ी व्यंजन, भोजन, कलेवा या पेय को स्थल पर तैयार कर प्रस्तुतिकरण देना होगा। इस कार्य में प्रत्येक समूह से अधिकतम दो सदस्य एक साथ भाग ले सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण का पूर्णांक 20 अंक होंगे जिन्हें विषय–विशेषज्ञों एवं समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षण पश्चात दी जावेगी। अधिकतम तकनीकि अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 5 स्व सहायता समूह का वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।

13. गढ़कलेवा परिसर की रखरखाव, रंगाई–पुताई, लिपाई, साफ–सफाई एवं स्वच्छता (HYGIENE) पूर्ण रूप से स्व सहायता समूह को अपने खर्चे पर वहन करना होगा तथा इसके रिपेयरिंग, पेंटिंग का कार्य पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कलाकारों के माध्यम से ही किया जाना होगा।

14. गढ़कलेवा से निकलने वाले कचरे का निपटान उचित तरीके से प्रतिदिन स्व सहायता समूह द्वारा किया जावेगा।

15. पेय जल एवं अन्य उपयोग हेतु जल व्यवस्था स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं के खर्चे पर वहन किया जावेगा।

16. पूर्व में जारी रूचि की अभिव्यक्ति में उक्त गढ़कलेवा का किराया प्रति माह राशि रू. 35000/– निर्धारित किया गया था। वर्तमान रूचि की अभिव्यक्ति में उक्त दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कुल राशि **रू. 38500/–** आधार दर मान्य किया जाता है। तकनीकि अंक के आधार पर श्रेष्ठ समूहों में से (अधिकतम 5 समूह) रूचि की अभिव्यक्ति के तहत अधिकतम दर वाले समूह को गढ़कलेवा संचालन हेतु अधिकृत किया जाना है। कार्यादेश की तिथि से प्रतिवर्ष किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

17. गढ़कलेवा परिसर में विद्युत व्यवस्था हेतु समूह को स्वंय का मीटर लगाना होगा तथा प्रतिमाह का विद्युत देयक का भुगतान स्व सहायता समूह द्वारा किया जावेगा।

18. रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव में कुल तीन लिफाफे होंगे:–

(क).**प्रथम लिफाफा** :– यह बड़ा एवं बाहरी लिफाफा होगा तथा इस लिफाफे के अंदर शेष दोनों लिफाफे भरकर मुहरबंद कर एवं पूर्ण पता सहित **संचालक, संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल सेक्टर–27 अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ)** पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट (अन्य कोई डाक सेवा नहीं) से नियत तिथि तक भेजना होगा। एवं लिफाफे के उपर में **"गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति"** लिखना अनिवार्य है।

(ख).**द्वितीय लिफाफा** :–इस लिफाफे के अंदर तकनीकी प्रस्ताव, समस्त प्रमाण पत्र, अनुभव एवं राशि **रू. 50,000/–** की धरोहर राशि का एफ.डी.आर./डी.डी./बैंकर्स चेक को संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा नवा रायपुर के नाम देय हो को भरकर मुहरबंद कर पहले लिफाफे के अंदर रखना है। तकनीकी लिफाफे के उपर में **"तकनीकी प्रस्ताव"** लिखा जाना आवश्यक है।

(ग).**तृतीय लिफाफा** :– इस लिफाफे के अंदर वित्तीय प्रस्ताव (विभाग द्वारा जारी किये गये प्रपत्र में भरा जावेगा) रखकर मुहरबंद कर प्रथम लिफाफे के अंदर रखना है। वित्तीय लिफाफे के उपर में **"वित्तीय प्रस्ताव"** लिखा जाना आवश्यक है।

Desktop/Garhkalewa

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

19. स्व सहायता समूह को 50 रू. का नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र इस आशय के साथ देना होगा कि उनको उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्कृति एवं राजभाषा नवा रायपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा तथा न्यायालय क्षेत्र केवल रायपुर का न्यायालय होगा।

21. संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा, नवा रायपुर को ई.ओ.आई. प्रक्रिया को कभी भी किसी भी स्थिति में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

22. तकनीकी प्रस्ताव में निविदाकर्ताओ को निम्नलिखित बिन्दुओं से अंक 80 के आधार पर समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में न्यूनतम 50 अंक पाने वाले संस्था को ही प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण (सरल क्र 05 अनुसार), आमंत्रित किया जाएगा।

क्र.	प्रत्येक मूल्यांकन मापदंड का विवरण	अधिकतम अंक
01	स्व सहायता महिला कर्मचारी की संख्या :– • न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 महिला संदस्यों / कर्मचारियों वाले स्व सहायता समूह– **05 अंक** • 21 या उससे अधिक एवं अधिकतम 30 महिला संदस्यों / कर्मचारियों वाले स्व सहायता समूह– **10 अंक** • 31 या उससे अधिक महिला संदस्यों / कर्मचारियों वाले स्व सहायता समूह – **15 अंक**	**15**
02	शासकीय उपक्रम के साथ काम करने का पिछला अनुभव :– • 2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **15 अंक** • 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **20 अंक** • 5 वर्ष से अधिक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **25 अंक**	**25**
03	निजी उपक्रम के साथ काम करने का पिछला अनुभव • 2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **05 अंक** • 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **10 अंक** • 5 वर्ष से अधिक का अनुभवी छत्तीसगढ़ी व्यंजन / पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने वाले स्व सहायता समूह – **15 अंक**	**15**
04	टर्नओवर • निविदाकर्ता का विगत 3 वित्तीय वर्ष में राशि रू 5.00 लाख तक का औसत टर्नओवर – **15 अंक** • निविदाकर्ता का विगत 3 वित्तीय वर्ष में राशि रू 5.00 लाख से अधिक तथा राशि रू 10 लाख तक का औसत टर्नओवर – **20 अंक** • निविदाकर्ता का विगत 3 वित्तीय वर्ष में राशि रू 10.00 लाख से अधिक का औसत टर्नओवर – **25 अंक**	**25**
		80
05	प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण	20
	कुल अंक	100

Desktop/Garhkalewa

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

92
37

तकनीकी प्रपत्र

1. स्व सहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पताः—..

2. प्रपत्र की जमा शुल्क रसीद का विवरणः—..

3. कार्य का नामः— महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित 'गढ़कलेवा' के संचालन कार्य।

4. कार्य का अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र सहित):—..

5. अमानत राशि :— रू 50,000/—(रू. पचास हजार) मात्र
(डी.डी./एफ.डी.आर) संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा, नवा रायपुर के नाम से

6. कार्य की अवधि/तिथिः— 03 वर्ष तक के लिए

7. रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने वाले स्वसहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव का आधार की सत्यापित छायाप्रतिः—...

8. विगत वर्षों **(न्यूनतम दो वर्ष)** का छत्तीसगढ़ी व्यंजन संचालन का अनुभव विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें):—
वित्तीय वर्ष ....
वित्तीय वर्ष ....
(आवश्यकतानुसार लाईन जोड़ें)

9. स्व सहायता समूह का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्रः— ....

10. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंसः— ....

11. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (रू. 50/— का नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर):— ....

(स्व सहायता समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Desktop/Garhkalewa

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय प्रपत्र

1. स्व सहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–..
....
....

2. स्व सहायता समूह का दूरभाष/मोबाईल नं.:–..

3. विभाग को प्रति माह दी जाने वाली **राशि रू. (अंको में)**..(शब्दों में).. (उक्त राशि सफल स्व सहायता समूह को प्रतिमाह विभाग के कैश शाखा में जमा करना होगा)

4. स्व सहायता समूह का कार्य संतोषजनक तथा अनुबंध का शर्तो का उत्तम रूप से पालन किये जाने पर अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

5. स्व सहायता समूह के द्वारा छत्तीसगढ़ी मुख्य व्यंजनों की सूची जो गढ़कलेवा में निर्मित की जावेगी एवं उनके बनाने के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री की जानकारी/विवरण (इस हेतु आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ संलग्न करें) प्रस्तुत करनी होगी, आवश्यक होने पर आवेदक से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया जा सकता है।

(स्व सहायता समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner